संख्या 476 पी/छः-पु0-6-11-300(4)/2011

प्रेषक,

दीपक कुमार,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

82

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक,
उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय,
इलाहाबाद।

गृह (पुलिस) अनुभाग-6 लखनऊ: दिनांक 24 फरवरी, 2011

विषय- उ0 प्र0 में मानव तस्करी रोकने हेतु 12 जनपदों (1-मेरठ, 2-गाजियाबाद, 3-गौतमबुद्ध नगर, 4-आगरा, 5-झांसी, 6-मुरादाबाद, 7-बरेली, 8-लखनऊ, 9-इलाहाबाद, 10-वाराणसी, 11-बस्ती, एवं 12-महराजगंज) में स्थापित एण्टी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिटों को थाना बनाये के लिए अधिसूचना जारी किये जाने के बारे में प्रस्ताव उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पर श्री गोपाल के0 पिल्लई, गृह सचिव, भारत सरकार के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या 15020/08/2007-एटीसी, दिनांक 16-6-2010 एवं सुश्री गीता सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक, निमित्त पुलिस महानिरीक्षक, अपराध शाखा, लखनऊ के पत्र संख्या मसप्र/प-2-180/10, दिनांक 17-2-2011 की प्रतियां संलग्न करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मानव तस्करी रोकने हेतु 29 राज्यों के 335 जिलों में एण्टी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट स्थापित किये जाने की योजना भा/स द्वारा तैयार की गयी है, इसमें उ0प्र0 के 35 जनपदों (1-आगरा, 2-इलाहाबाद, 3-लखनऊ, 4-मेरठ, 5-बरेली, 6-बस्ती, 7-गाजियाबाद, 8-नोएडा, 9-मुरादाबाद, 10-वाराणीस, 11-महराजगंज, 12-झांसी, 13-मऊ, 14-कानपुर नगर, 15-गोरखपुर, 16-बिजनौर, 17-जौनपुर, 18-आजमगढ, 19-फिरोजाबाद, 20-पीलीभीत, 21-सीतापुर, 22-बलिया, 23-बागपत, 24-शाहजहांपुर, 25-बदायूं, 26-उन्नाव, 27-हरदोई, 28-कुशीनगर, 29-सिद्धार्थ नगर, 30-मुजफ्फर नगर, 31-खीरी, 32-बाराबंकी, 33-बहराईच, 34-श्रावस्ती, 35-बलरामपुर) जनपदों को सम्मिलित किया गया है। प्रथम चरण में 12 जनपदों में (1-मेरठ, 2-गाजियाबाद, 3-गौतमबुद्ध नगर, 4-आगरा, 5-झांसी, 6-मुरादाबाद, 7-बरेली, 8-लखनऊ, 9-इलाहाबाद, 10-वाराणसी, 11-बस्ती एवं 12- महराजगंज) उक्त यूनिट गृह (पुलिस) अनुभाग-15

के शासनादेश संख्या 217/6-पु-15-2011, दिनांक 10-2-2011 (प्रति संलग्न) द्वारा स्थापित किया गया है साथ ही गृह (पुलिस) अनुभाग-7 द्वारा शासनादेश संख्या 5634/6-पु-7-10-2(3)/2010 टीसी, दिनांक 18-1-2011 द्वारा उक्त जनपदों के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 में रू0 86.76 लाख की वित्तीय स्वीकृति भी निर्गत की गयी है।

2- भारत सरकार के उपर्युक्त संदर्भित पत्र में यह भी कहा गया है कि एण्टी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिटस राज्य सरकार द्वारा पुलिस थाने के रूप में अधिसूचित की जायेगी जो पूरे जनपद में ह्यूमन ट्रैफिकिंग से संबंधित अपराधों के पंजीकरण एवं विवेचना का कार्य करेगी। अतः अनुरोध है कि प्रथम चरण में प्रदेश के 12 जनपदों (1-मेरठ, 2-गाजियाबाद, 3-गौतमबुद्ध नगर, 4-आगरा, 5-झांसी, 6-मुरादाबाद, 7-बरेली, 8-लखनऊ, 9-इलाहाबाद, 10-वाराणसी, 11-बस्ती, एवं 12-महराजगंज) में स्थापित एण्टी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिटों के लिए प्रकरण का परीक्षण कर/अधिसूचना जारी किये जाने हेतु प्रस्ताव/आख्या तथा अधिसूचना का हिन्दी/अंग्रेजी आलेख की प्रति फैक्स के माध्यम से शासन को दिनांक 25-2-2011 तक प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक :- यथोपरि।

भवदीय,

(दीपक कुमार)
सचिव।

Fax

संख्या एवं दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि अपर पुलिस अधीक्षक, निमित्त पुलिस महानिरीक्षक, अपराध शाखा एवं महिला सहायता प्रकोष्ठ लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि प्रकरण में वांछित प्रस्ताव/आख्या पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद के माध्यम से शासन को तत्काल उपलब्ध कराने हेतु प्रभावी कार्यवाही करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(रमेश कुमार त्रिपाठी)
अनु सचिव।

24-2-11

24-2-11